न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रा0पत्र संख्या 19 / 2019 तारीख रजू 26.12.2019

(1)मुरारीलाल पुत्र प्रभूलाल जाति मीना नि0 मलारना चौड तहसील मलारना डूँगर
(2) श्रीमति पान बाई पत्नि मुरारीलाल जाति मीना नि0 मलारना चौड तहसील मलारना डूँगर

——— अपीलार्थी

बनाम

(1) जगदीश पुत्र मयराम जाति मीना नि0 मलारना चौड तहसील मलारना डूँगर
(2) भरतलाल पुत्र मयराम जाति मीना नि0 मलारना चौड तहसील मलारना डूँगर
(3) किशनलाल पुत्र मयराम जाति मीना नि0 मलारना चौड तहसील मलारना डूँगर
(4) मन्नालाल पुत्र मयराम जाति मीना नि0 मलारना चौड तहसील मलारना डूँगर
(5) मुरारीलाल पुत्र मयराम जाति मीना नि0 मलारना चौड तहसील मलारना डूँगर
(6) मुकेश कुमार पुत्र मयराम जाति मीना नि0 मलारना चौड तहसील मलारना डूँगर
(7) बसन्ती पुत्री मयराम जाति मीना नि0 मलारना चौड तहसील मलारना डूँगर
(8) आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर जिला स0मा0।
(9) लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलारना डूँगर ——— रेस्पो0

उपस्थित

(1) श्री बालकृष्ण उपाध्याय एडवोकेट प्रार्थीगण 1 लगायत 2 की ओर से
(2) श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल विपक्षी गण 1 लगायत 7 की ओर से
(3) राजकीय पेरोकार विपक्षी सं0 8 व 9 की ओर से

निर्णय

दिनांक 14.03.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 03.12.1972 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के पिता के पिता मयाराम पुत्र लाल्या जाति मीना निवासी ग्राम मलारना चोड को आराजी खसरा नम्बर 3815 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:25:27 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 6281 पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। अन्त में वकील प्रार्थीगण ने आलोच्य आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुये निवेदन किया गया है कि साबिक ख0 न0 3815 रेस्पो0 के पिता स्व0 मयराम कि खातेदारी एवं कब्जा काश्त कि भूमि रही है। उक्त भूमि सम्बत 2021 से संबत 2024 में मुताबिक जमाबन्दी कृषि योग्य भूमि है जिसकी किस्म बंजड है। जमाबन्दी सम्बत 2025 से 2028 में उक्त भूमि रेस्पो0 के पिता के नाम दर्ज है। यह है कि सम्बत 2029 से 2032 में ख0न0 3815 किस्म बंजड से नहरी 2 में परिवर्तन हुई। जमाबन्दी सम्बत् 2029 से वर्तमान जमाबन्दी उक्त भूमि बदस्तुर नहरी 2 चल रही है। यह है कि अपीलाण्ट ने न्यायालय को गुमराह कर प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि भूमि किस्म तालाबी है जो कि सरासर गलत है।इसके विपरीत प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन रूल्स के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। जबकी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव किये जोने से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि सविक ख0न0 3815 1 बीघा 18 विस्वा पर मृतक मयाराम पुत्र लाल्या मीना का अतिक्रमण हाने की पटवारी हल्का मलारना चोड द्वारा सम्बत 2027 में 91 एल आर एक्ट की रिपोर्ट पेश की थी तभी से भैतिक कब्जा होने के कारण विवदित भूमि तहसीलदार बौंली द्वारा नियमन करने की अभिशंषा पर नियमन की गई थी, वरवक्त नियमन मृतक भूमिहीन होना पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है। इसके विपरीत विपक्षी अधिवक्त ने दलील दी कि विवादित भूमि पर देरीना अप्रार्थीगण के पिता का कब्जा होने के कारण नियमन हुई थी तथा अप्रार्थीगण द्वारा साईटेशन 2016(4)RLW page 3181 एवं RRD 2017 page 61 राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच जयपुर प्रस्तुत की गई । नियमन की गई भूमि पर आवंटन रूल्स 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण व विपक्षी गणों के विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा दी गई दलील व बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस विवादित भूमि पर भौतिक कब्जा होने के समर्थन में खसरा परिवर्तनशील की प्रमाणित प्रति पेश की लेकिन विवादित भूमि का सविक रकवा कुल कितना दर्ज है, प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं किया है। प्रार्थी ने तुलनात्मक क्षेत्रफल भी प्रस्तुत नहीं किया है। इसके विपरीत प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन रूल्स के प्रस्तुत किया है। जबकी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव किये जाने से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि सविक ख0न0 3815 रकवा 1 बीघा 18 विस्वा पर मृतक मयाराम पुत्र लाल्या मीना का अतिक्रमण हाने की पटवारी हल्का मलारना चोड द्वारा सम्बत 2027 में 91 एल आर एक्ट

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:25:27 IST
Reason: SelfAttested

मलारना चोड में दिनांक 03.12.1972 को आवंटन किया गया को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 की ओर से दिनांक 29/1/20 को एवं विपक्षी सं0 5,6,7 की ओर से दिनांक 27/8/21 को वकालतनामा पेश किया। एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। पत्रावली दिनांक 6/10/21 को तकमील पूण होने पर बहस हेतु नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 08/10/21 को उभय पक्षों की बहस सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 20/10/21 नियत की गई। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी के प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त रहने के कारण निर्णय नही लिखाये जाने पर प्रकरण में पुनः दिनांक 8/03/2022 को उभयपक्ष वकीलों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि आवंटन आदेश बाबत खसरा नम्बर 3815 वाके ग्राम मलारना चोड रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा दिनांक 03.12.1972 नियम विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थीगणों ने विपक्षी सं0 1 लगायत 7 के पिता स्व0 मयाराम पुत्र लाल्या मीना निवासी मलारना चौड़ ने दिनांक 03/12/72 को विवादग्रस्त आराजी ख0न0 3815 रकवा 1 वीघा 18 बिस्वा को गुपचुप रूप से बिना भौतिक कब्जे के आवंटन करवाली जबकी विवाद ग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगणों का कब्जा रहा है।यह है कि खसरा नम्बर 3815 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा थाा जा कि पूर्व में सार्वजनिक उपयोग की गैर मुमकिन तालाबी भूमि थी। यह है कि आलोच्य आवंटन आदेश के बाबत आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन आदेश निरस्ती योग्य है। यह है कि मौके पर प्रार्थीगण की खातेदारी के उक्त खेतों के साथ पट्टीनुमा खेत खसरा नम्बर 3815 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा जिसका नया खसरा नम्बर 6281 है जो कि मयराम की मृत्यु के बाद अब अप्रार्थीगण की खातेदारी मे गलत प्रकार से अंकित हो गया है पर भी हम प्रार्थीगण का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है तथा हमने अपने खेतों के साथ इस खेत पर भी नहर तक तारबन्दी करा कर मौके पर अमरूद का बगीचा लगाया हुवा है जिस पर अप्रार्थीण गलत खातेदारी के आधार पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है। यह है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद अधीन धारा 88/188 राज0 काश्तकारी अधि0 न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जिसमें न्यायालय उपजिलाधीश मलारना डूंगर ने दिनांक 14/10/2019 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा भी हमारे पक्ष में जारी कर रखी है।यह है कि अप्रार्थीगण जबरदस्ती अपनी गलत प्रकार से चली आ रही खातेदारी के खेतो के साथ मिले हुवे पटटीनुमा खेत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:25:27 IST
Reason: SelfAttested

की रिपोर्ट पेश की थी तभी से भैतिक कब्जा होने के कारण विवदित भूमि पर तहसीलदार बैांली द्वारा नियमन करने की अभिशंषा पर उप खण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा नियमन की गई थी, वरवक्त नियमन मृतक मयाराम का भूमिहीन होना पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सावित है। साथ ही विपक्षी अधिवक्ता ने दलील दी कि विवादित भूमि पर पूर्व से कब्जा होने के कारण नियमन हुई थी, नियमन की गई भूमि पर आवंटन रूल्स 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थी ने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि का नियमन होना स्पष्ट नहीं किया है। विपक्षी वकील द्वारा साईटेशन 2016(4)RLW page 3181 एवं RRD 2017 page 61 राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच जयपुर एवं प्रस्तुत की गई। साथ ही इसके अतिरिक्त विपक्षी वकील द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी स0मा की फोटो प्रति अपील सं 17/20 उनवानी मुरारी बनाम जगदीश वगै0 की प्रस्तुत कर उक्त निणर्य में अपीलाण्ट सं0 2 पानवाई को मृतक दर्शा रखा है। जबकी वर्तमान प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अधिवक्ता ने आजतक मृतक पानवाई के फोत हाने व वरिसान को रिकार्ड पर लेने वाबत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन हाने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। उक्त विवदित भूमि ख0न0 3815 रकवा 1 बीघा 18 विस्वा मृतक मयाराम पुत्र लाल्या विपक्षी गणों के पिता का नियमन के पूर्व से ही भौतिक कब्जा हाने के कारण तहसीलदार बौंली द्वारा नियमन करने की अभिशंषा के आधार पर दिनांक 03/12/1972 को उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा किये गये नियमन में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने के कारण नियमन आदेश यथावत रखा जाता है। एवं उक्त खसरा नम्बर 6281 साबिक ख0न0 3815 रकबा 1 बीघा 18 बीस्वा में खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जा चुके हैं अतः उक्त भूमि खातेदारी की भूमि होने के कारण प्रा0प0 अन्तर्गत धारा 14(4) चलने योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवंटन रूल्स 14(4) के तहत चलने योग्य नहीं होने तथा सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **14/03/2022** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:25:27 IST
Reason: SelfAttested